



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 28.11.2022

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 0 4 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेलों व मन्दिर से चोरी किया गया सामान

बरामद:-

दिनांक 28.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी के विरुद्ध एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सूचना पर ट्यूबवेल से तार चोरी की घटना में शामिल 0 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से ट्यूबवेलों व मन्दिरों से चोरी किया गया तांबे का तार, स्टार्टर के कटआउट क्लिप आदि उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.जस्मत अली पुत्र मुन्ना अली मूल निवासी खालपरा थाना माटिया जिला अजरगढ आसाम हाल निवासी झुग्गी झोपडी मौ0 दयानन्दनगर थाना कोतवली जनपद शामली।
- 2.हस्मत अली पुत्र मुन्ना अली निवासी खालपरा थान माटिया जिला अजरगढ (आसाम) हाल निवासी झुग्गी झोपडी मौ0 दयानन्द नगर थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 3.जोहर अली पुत्र जुमीशेख मुल निवासी सतमनपूरी थाना कलगसिया जिला बरवटा (आसाम) हाल निवासी मैली रोड झुग्गी झोपडी मौ0 दयानन्दनगर थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 4.रफीकुल इस्लाम पुत्र अब्दुल सलाम मूल निवासी पश्चिम दगल्ली थाना कल गासिया जिला बरबटा (आसाम) हाल निवासी मैली रोड झुग्गी झोपडी मौ0 दयानन्दनगर थाना कोतावली जनपद शामली है।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 579/22 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 541/22 धारा 380, 411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी किया हुआ तांबे का तार एवं स्टार्टर के कटआउट क्लिप (कुल बजन 3.25 किलोग्राम) (सम्बन्धित मु0अ0सं0 579/22 धारा 457, 380, 411 भादवि)

2.चोरी किया हुआ तांबे का तार एवं स्टार्टर के कटआउट क्लिप आदि (सम्बन्धित मु0अ0सं0 541/22 धारा 380, 411 भादवि)

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो बताया कि हम चारों जस्मत अली, हस्मत अली, जोहर अली, रफीकुल इस्लाम द्वारा दिनांक 10/11.11.2022 व 19/20.11.2022 की रात्रि में हम चारों ने मिलकर सुन्ना नहर पटरी ग्राम डांगरोल व भभीसा के जंगलों में स्थित ट्यूबवेलों एवं कुडाना गाँव के जंगल में लगी ट्यूब वेलों व मन्दिर के कमरों के ताले तोड़कर सामान चोरी कर लिया था कुछ केबिल वही ईख के खेत में जलाकर तांबे का तार निकाल लिया था। पूरे केबिल को एक साथ नहीं जलाया था क्योंकि हमें डर था कि आग देखकर कोई आ ना जाये। केबिल जलाकर निकाला गया, तांबे का तार, स्टार्टर के कटआउट से मिला तांबे का सामान व मन्दिर से चुराया सभी सामान चलते फिरते फेरी वाले को बेच दिया। बचे हुये केबिलों व स्टार्टर कटा आउट का बचा सामान हमने छिपाकर रख दिया था। आज मौका देख कर केबिलो को जलाकर तांबे का तार निकालकर स्टार्टर व काटआउट आदि का बचा सामान जो सफेद कट्टे में है बेचने जा रहे थे। तभी हमें पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री रणबीर सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 2.है0का0 नबाव सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 3.का0 उदित मलिक थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 4.का0 प्रेम चौधरी थाना कोतवाली जनपद शामली।

- 5.का0 नितिन कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली ।
6.का0 अमित सांगवान थाना कोतवाली जनपद शामली ।



थाना कोतवाली शामली द्वारा वाहन चोर गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल एवं फर्जी नंबर प्लेट बरामद:-

दिनांक 27.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली द्वारा चैकिंग के दौरान शातिर वाहन चोर गिरोह के 02 सदस्यों को चोरी की 04 मोटरसाइकिल व फर्जी नंबर प्लेट सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.जुबेर पुत्र रिजवान निवासी मोहल्ला इकबालपुरा थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.इरफान पुत्र ताहीर निवासी मोहल्ला इकबालपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी की मो0सा0 एचएफ डीलक्स फर्जी नंबर प्लेट यूपी-11 यू0 8499 लगी है जबकि सही न0 एचआर 16 क्यू 5803 है।
- 2.चोरी की मोटरसाइकिल डिस्कवर रंग काला नम्बर डीएल-6एसजेड-1402
- 3.चोरी की मोटरसाइकिल सीटी 100 बिना नम्बर चैक किया तो न0 एचआर 05 क्यू 1171 चेसिस न0 DUFBLK44473 व ईजन न0 DUNBK35640
- 4.चोरी की मोटरसाइकिल पल्सर रंग काला नंबर डीएल-105ए-3052।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण जुबेर , इरफान से पूछताछ की गई तो बताया कि हम दोनों लोग एक साथ मिलकर मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं तथा इन्हे गुप्त स्थान पर छिपा देते हैं तथा धीरे धीरे समय मिलने पर राह चलते कबाड़ियों व ग्राहकों को बेच देते हैं , जो भी पैसा मिलता है उसे हम बराबर बराबर बांट लेते हैं। और कुछ मोटरसाइकिलों की आगे की नम्बर प्लेट उतार देते हैं तथा दूसरी फर्जी नंबर प्लेट लगा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास 02 चोरी की मोटरसाइकिल भी है जिन्हे हम चलकर बरामद करा सकते हैं। दोनो अभियुक्तगणों द्वारा आगे झाड़ियों में छिपी 02 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट की बरामद कराई गई है। बरामद चोरी की 04 मोटरसाइकिल दिल्ली व करनाल से चोरी की है। जिनके संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 3.है0का0 नबाब सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 4.का0 उदित मलिक थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 5.का0 नितिन कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 शातिर मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार , कब्जे से 202 ग्राम

अवैध चरस बरामद:-

दिनांक 28.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 शातिर मादक पदार्थ तस्कर को अवैध चरस 202 ग्राम सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अभिषेक उर्फ अन्नु पुत्र प्रदीप निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध चरस 202 ग्राम।

अपराधिक इतिहास अभि0 अभिषेक उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 884/17 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 161/20 धारा 366 भादवि0 थाना आ0 मण्डी जनपद शामली

3.मु0अ0सं0 168/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना आ0 मण्डी जनपद शामली

4.मु0अ0सं0 474/20 धारा 379/411 भादवि0 को0 शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 477/20 धारा 414 भादवि0 को0 शामली जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 268/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट को0 शामली जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 78/22 धारा 379/411 भादवि0 को0 शामली जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 388/22 धारा 379/411 भादवि0 को0 शामली जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 593/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट को0 शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.का0 उदित मलिक थाना कोतवाली जनपद शामली।

